

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2014


क्रमांक 34 / 17 / आउशि / शाखा-5अ / 2014 : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 10 चयनित महाविद्यालयों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से साझेदारी करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1	प्रो. डी.पी. सिंह	कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	अध्यक्ष
2	प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डे	अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, म.प्र.	सदस्य
3	डॉ. के.एम. जैन	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा अकादमी शाखा,	सदस्य सचिव
4	डॉ. एस.डी. सिंह	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5	डॉ. आनन्द कुमार सिंह	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा अकादमी शाखा,	सदस्य

उपर्युक्त समिति संलग्न बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन कर राज्य शासन को अपना मत एवं अनुशासन दिनांक 10 फरवरी 2014 तक प्रस्तुत करेगी।


समिति निम्न कार्य करेगी :-

1. गुणवत्ता के आधार पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय स्वशासी महाविद्यालयों/उत्कृष्टता संस्थानों में से प्रथम चरण में संभावनाशील महाविद्यालयों/संस्थानों का चयन करना जिससे संस्थाएं राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से पारस्परिक लाभ उठा सकें।
2. योजना के प्रथम चरण के आरंभिक दो वर्षों में अर्थात् 2014-15 में प्रथमतया राष्ट्रीय स्तर के इच्छुक शिक्षा संस्थानों/महाविद्यालयों/शोध केन्द्रों का चयन करेगी जिनसे प्रदेश के 10 चयनित महाविद्यालयों/संस्थानों का अनुबंध हो सके। अनुबंध के लिये इच्छुक संस्थाओं की जानकारी के लिए आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन भी कर सकेगी।
3. चयनित महाविद्यालयों/संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यू.जी.सी. द्वारा प्रवर्तित एवं प्रचलित योजनाओं एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने यहां प्रचलित पाठ्यक्रमों में साझेदारी करने तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को एक-दूसरे के यहां आदान-प्रदान करने के लिए योजना।
4. प्रदेश में कार्यरत केन्द्रीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों/प्रयोगशालाओं आदि से अनुबंध हेतु आधार तैयार करना।
5. गुणवत्ता विस्तार हेतु अन्य सुझाव।

  
(डॉ. व्ही.एस. निरंजन)  
वि.क.अ. सह आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांक 35 / 17 / आउशि / शाखा-5अ / 2013  
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, मान. राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।

  
वि.क.अ. सह आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश